Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Limited

BMSICL
(A Govt. of Bihar undertaking)

संचिका संख्या : BMSIC/20005/1-2015/903 दिनांक : 08/07/2015

सामान्य प्रशासन विभाग
प्राप्ति
21 JUL 2015
सं० 8721(07)

प्रेषक,
प्रबंध निदेशक–सह–प्रधान सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार
पटना।

सेवा में
आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव–सह–सदस्य सचिव,
उच्चस्तरीय समिति।

O.S.D. H.C.L.

विषय :– समिति के समक्ष संविदा पर नियोजित कर्मियों से संबंधित मामले उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:– सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना का पत्रांक उ0स्त0स0/सा0प्र0–01/2015–सा0प्र0–002 दिनांक 19 मई 2015 एवं पत्रांक उ0स्त0स0/सा0प्र0–01/2015–सा0प्र0–07 दिनांक 28 मई 2015 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में बिहार चिकित्सा सेवाऐं एवं आधारभूत संरचना निगम (बी.एम.एस.आई.सी.एल.) में संविदा पर नियोजित कर्मियों के संबंध में जो सूचना की मांग की गई है वह निम्नवत है:–

क्रम सं0	माँगी गई सूचना	बी.एम.एस.आई.सी.एल. का जवाब
1	प्रत्येक पद जिसपर नियोजन किया गया है, का पदनाम।	बी.एम.एस.आई.सी.एल. में कुल 136 पदों (प्रबंध निदेशक को छोडकर) के सृजन की स्वीकृति सरकार द्वारा तीन चरणों में प्रदान की गई है। 136 पदों में से पहले दो चरणों में स्वीकृत 56 पदों के पदनाम अनुलग्नक 1(a) पर देखा जा सकता है। इसके अलावा जो बाद में 80 पदों के सृजन सरकार द्वारा स्वीकृत की गई हैं उनके पद स्तर वार कार्यात्मक ब्योरा वर्त्तमान में अनुमोदित नही है। 80 पदों का पद स्तर वार बुनियादी विवरणी अनुलग्न 1(b) पर देखा जा सकता है।
2	पदवार कुल नियोजित कर्मियों एवं कुल कार्यरत कर्मियों की संख्या।	प्रथम दो चरणों में स्वीकृत 56 पदों के विरूद्ध नियोजन प्रक्रिया पूर्ण की गई थी एवं इन 56 पदों में से 34 पदो पर वर्त्तमान में पदाधिकारी/कर्मी कार्यरत है जिसका ब्योरा अनुलग्नक 1(a) पर देखा जा सकता है।
3	किस योजना/परियोजना इत्यादि के लिए यह नियोजन किया गया था तथा क्या यह योजना केंद्रीय या राज्य की योजना थी?	यह नियोजन बिहार चिकित्सा सेवाऐं एवं आधारभूत संरचना निगम (बी.एम.एस.आई.सी.एल.) के लिए किया गया जिसका गठन अच्छी गुणवत्ता वाली दवाओं एवं उपकरणों का न्यूनतम दर पर क्रय एव स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के आधारभूत संरचना के विकास हेतु भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 466(12) दिनांक 19.05.2010 के द्वारा किया गया है।
4	नियोजन का पद किस श्रेणी का है (समूह ग या घ)।	बी.एम.एस.आई.सी.एल. में जो कुल 136 पद स्वीकृत हैं (अनुलग्नक 1(a) एवं 1(b) दृष्टव्य) इनका पदवार श्रेणी का विभाजन नही किया गया है।
5	क्या यह पद स्वीकृत था ? अगर हॉ तो, स्वीकृत्यादेश/पद सृजन आदेश।	बी.एम.एस.आई.सी.एल. के गठन के समय में स्वीकृत 16 पदो के स्वीकृत्यादेश/पद सृजन आदेश अनुलग्नक 2(a) पर, द्वितिय चरण के 40 पदों का स्वीकृत्यादेश 2(b) पर तथा बाद में स्वीकृत 80 पदो का स्वीकृत्यादेश/पद सृजन आदेश अनुलग्नक 2(c) पर देखा जा सकता है।

9TM GAD
Pl.S Cal
Approved
22/7

510-512
22/7/15

5th floor, Biscomaun Bhavan, Gandhi Maidan, Patna 800 001
Phone: +91 612 2219634; Fax: +91 612 2219635
www.bmsicl.gov.in

6	क्या प्रत्येक बार का नियोजन रिक्ति के विरूद्ध हुआ था अथवा नही ?	नियोजन रिक्ति के विरूद्ध हुआ है।
7	नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन/नोटिस इत्यादि की छायाप्रति (प्रत्येक पद के लिए जितने बार नियोजन किया गया है, उन सब की छायाप्रति उपलब्ध करायी जाये)।	प्रथम व द्वितिय चरण के 56 स्वीकृत पदों के विरूद्ध नियोजन की गई है एवं इन 56 पदों के नियोजन हेतु विज्ञापन की छायाप्रति अनुलग्नक 3 (6 पृष्ठ) पर देखा जा सकता है।
8	नियोजन हेतु चयन की प्रक्रिया।	नियोजन हेतु खुले बाजार से विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त किये जाते है। बी.एम.एस.आई.सी.एल. के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरस द्वारा गठित साक्षात्कार कमिटि के द्वारा उम्मीदवारों की योग्यता तथा साक्षात्कार में प्रर्दशन के आधार पर साक्षात्कार बोर्ड द्वारा चयनीत उम्मीदवार का नियोजन किया जाता है।
9	पदवार निर्धारित न्यूनतम अहर्ता।	पूर्व में स्वीकृत 56 पदों के पदवार निर्धारित न्यूनतम अहर्ता अनुलग्नक 1(a) पर देखा जा सकता है। बाद के 80 पदों के पदवार न्यूनतम अहर्ता वर्त्तमान में अनुमोदित नही है।
10	क्या नियोजित कर्मी वांछित पदीये अहर्ता रखते थे अथवा नही।	नियोजित कर्मी वांछित पदीये अहर्ता रखते थे।
11	नियोजन के समय आरक्षण अधिनियम का पालन हुआ है अथवा नही।	नियोजन के समय आरक्षण अधिनियम का पालन हुआ है।
12	नियोजन हेतु नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी।	प्रबंध निदेशक, बी.एम.एस.आई.सी.एल. नियोजन हेतु नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी है।
13	उपर्युक्त नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी को नियोजन की तिथि को इस प्रकार के नियोजन की शक्ति प्रदत थी अथवा नहीं।	उपर्युक्त नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी को नियोजन की तिथि को इस प्रकार के नियोजन की शक्ति प्रदत थी।
14	नियोजन पत्र/अनुबंध पत्र का नमूना (प्रत्येक पद पर प्रत्येक बार की नियोजन प्रक्रिया के लिए)।	नियोजन पत्र/अनुबंध पत्र का नमूना अनुलग्नक 4 (03 पृष्ठ) पर देखा जा सकता है।
15	प्रथम नियोजन के समय निर्धारित नियोजन अवधि।	प्रथम नियोजन के समय प्रारंभ के स्वीकृत 16 पदों के लिए नियोजन की अवधि 03 वर्ष के लिये थी जिसके पश्चात् सेवा अवधि विस्तार 01 वर्ष के लिये की गई। शेष पदों के लिए नियोजन की अवधि प्रारंभ से 01 वर्ष के लिये थी।
16	प्रत्येक सेवावधि विस्तार हेतु निर्धारित मानक।	नियोजित पदाधिकारी/अधिकारी का सेवावधि विस्तार, उनके कार्य प्रर्दशन एवं उनके रिर्पोटिंग पदाधिकारी के अनुशंसा के अनुसार हुआ है।
17	प्रत्येक सेवावधि विस्तार आदेश नमूना।	नियोजित पदाधिकारी/अधिकारी के कार्य प्रर्दशन और रिर्पोटिंग पदाधिकारी के अनुशंसा के साथ संचिका प्रबंध निदेशक बी.एम.एस.आई.सी.एल. को प्रेषित होता है और संचिका पर उनके अनुमोदनोपरांत, पदाधिकारी/अधिकारी का सेवावधि विस्तार होता है।
18	प्रत्येक पदवार मानदेय/पारिश्रमिक/वेतन/consolidated pay इत्यादि की भुगतेय राशि।	अनुलग्नक 1(a) एवं 1(b) पर देखा जा सकता है।
19	जिस शीर्ष/मद से भुगतान हो रहा है, उसकी विवरणी।	स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 466(12) दिनांक 19.05.2010 के आलोक में बी.एम.एस.आई.सी.एल. को दवा, उपकरण क्रय एवं निर्माण कार्य के विरूद्ध निर्धारित सेवा शुल्क की राशि से भुगतान की जाती है।
20	जिस नियमावली/संकल्प/परिपत्र के अंतर्गत इन पदों पर नियोजन की प्रक्रिया हुई है, उनकी छायाप्रति (मूल एवं सभी संशोधनों के साथ)।	अनुलग्नक 2(a),2(b) एवं 2(c) पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

5th floor, Biscomaun Bhavan, Gandhi Maidan, Patna 800 001
Phone: +91 612 2219634; Fax: +91 612 2219635
www.bmsicl.gov.in

BMSICL
(A Govt. of Bihar undertaking)

**ज्ञापन/प्रतिवेदन के साथ प्राप्त सभी अनुलग्नक कार्यालय में Hard Copy में संधारित है।